

परिषद के

मेरठ जोन के अन्तर्गत

गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर में विभिन्न योजनाओं रिक्त
आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी



आवंटन/
नीलामी तिथि
31-07-2019

समय
प्रातः 11:00
बजे

आवंटन / नीलामी स्थल :-
सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार योजना, मेरठ



(सेवोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in>; E-mail : upavp@Sancharnet.in



वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-15 शिखर एन्कलेव (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की संख्या	सम्पत्ति श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण/टोकन धनराशि रु.
12	2 बी.एच.के. (छठे तल से नवे तक)	106.21	अनारक्षित	7922000.00	396100.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद (आवासीय भूखण्ड) (नीलामी से)

भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों की श्रेणी व क्षेत्रफल	भूखण्डों की संख्या	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
आवासीय भूखण्ड	74.75 से 78.00 वर्ग मी. तक	08	सामान्य	4441295.00 से 4953315.00 तक	44150.00 से 495350.00 तक

नोट:- भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4सी के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण/टोकन धनराशि रु.
एफ-37	4सी/4222 (तृतीय तल)	37.00	अनारक्षित	2117500.00	106000.00

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद, ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के निरस्तीकरण से रिक्त चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	कुल मूल्य	पंजीकरण/टोकन धनराशि (रु. में)
ब्रह्मपुत्र योजना	47.73	भूतल	66	2822120.00	141200.00
	47.73	प्रथम तल	29	2400120.00	120100.00
	47.73	द्वितीय तल	52	2353120.00	117700.00
	47.73	तृतीय तल	99	2307120.00	115400.00

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेन्ट

क्र. सं.	सम्पत्ति श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग में	कुल मूल्य (लाख में)	टोकन धनराशि (लाख में)	एक माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 85 प्रतिशत धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 मासिक किश्तें
1	हिण्डन अपार्टमेन्ट 1 बी.एच.के.	34	41.66 से 42.68	46.53	2.33	4.66	अवशेष की 120 किश्तें
	2 बी.एच.के.	122	66.64 से 67.39	71.43	3.58	7.15	तदैव
2	यमुना अपार्टमेन्ट 03 बी.एच.के.	121	108.32	93.11	4.66	9.32	तदैव
	2 बी.एच.के.+स्टडी	175	97.47 से 98.30	85.93	4.30	8.60	तदैव

रिमाकः:- मूल्य के अतिरिक्त कवर्ड पार्किंग हेतु रु. 1.75 लाख, खुली पार्किंग हेतु रु. 0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। 01 बी.एच.के. हेतु रु.1.00 लाख, 02 बी.एच.के. हेतु रु.1.45 लाख एवं 02 बी.एच.के.+स्टडी हेतु रु.1.75 लाख कार्पस फण्ड देय होगा। सामान्य रख-रखाव हेतु रु. 1.50 प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त देय होगा।

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक हॉल)

क्रम सं.	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	व्यावसायिक हॉल का नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
1	व्यावसायिक हॉल	02	4A/H-1	96.09	सामान्य	6471000.00	6471000.00
			4A/H-2	86.82	सामान्य	5846000.00	5846000.00
		01	5/H-1	62.92	सामान्य	4612000.00	4612000.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक भूखण्ड)

क्रम सं.	भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों का नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (रु. में)
1	व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-1 (कार्नर)	150.09	सामान्य	56672.00	8510000.00
2	व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-2	150.36	सामान्य	51520.00	7750000.00
3	व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-3	149.31	सामान्य	51520.00	7700000.00
4	व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-4	149.60	सामान्य	51520.00	7710000.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद आवासीय फ्लैट (आवंटन से)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	फ्लैटों की संख्या	तल	धनराशि	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत
आसरा-1	33.59	1332	भूतल	1316000	65800	131600
			प्रथम तल	1192000	59600	119200
			द्वितीय तल	1178000	58900	117800
			तृतीय तल	1164000	58200	116400
आसरा-2	47.73	272	भूतल	2123000	106150	212300
			प्रथम तल	1902000	95100	190200
			द्वितीय तल	1878000	93900	187800
			तृतीय तल	1853000	92650	185300
सपना-1	64.72	195	भूतल	3678000	183900	367800
			प्रथम तल	3370000	168500	337000
			द्वितीय तल	3335000	166750	333500
			तृतीय तल	3302000	165100	330200
सपना-2	86.04	262	भूतल	4834000	241700	483400
			प्रथम तल	4435000	221750	443500
			द्वितीय तल	4390000	219500	439000
			तृतीय तल	4346000	217300	434600

टिप्पणी:- विविध शुल्क, कार पार्किंग, कार्पस फण्ड व जी.एस.टी. अलग से देय होगी।

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (आवासीय दुर्बल आय वर्ग फ्लैट)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भवनों की संख्या	तल	धनराशि	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत
दुर्बल आय वर्ग	28.41	145	चार मंजिले	590000	29500.00	59000

रिमाकः- विविध शुल्क आदि देय अलग से होगा तथा रू. 1.00 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत होना चाहिए।

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के आवंटन हेतु दुर्बल आय वर्ग भवनों के सम्बन्ध में (आय सीमा-100000.00 तक)

भवन संख्या	क्षेत्रफल	तल	आरक्षण श्रेणी	आरक्षित मूल्य (रू. लाख में)	टोकन धनराशि (05 प्रतिशत)
9/3127	30.72	द्वितीय तल	अनारक्षित	1092220.00	55000.00
9/3452	30.72	तृतीय तल	अनारक्षित	1064800.00	53500.00
9/2276	30.72	प्रथम तल	अनारक्षित	1140000.00	57000.00

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय एवं गैर आवासीय (व्यावसायिक) सम्पत्तियों का विवरण :-

गैर आवासीय सम्पत्तियाँ :-

पठानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
दुकान	S-19	9.62	6.08	0.61
(कुल 02 नग)	S-20	14.196	8.89	0.89

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए. आर. (लाख में)	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
व्यवसायिक	3D/CP-02	321.30	1.75	40%	उपविधि के अनुसार	30240.00	97.16	9.72
भूखण्ड 02 नग	3D/CP-03	324.90	1.75	40%	उपविधि के अनुसार	30240.00	98.25	9.82

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए. आर. (लाख में)	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
प्रीमियम हाउस भूखण्ड (04 नग)	3A-156	सामान्य	300.00	1.50	55%	उपविधि के अनुसार	22680.00	68.04	6.80
	3B-178	सामान्य	300.00	1.50	55%	उपविधि के अनुसार	22680.00	68.04	6.80
	3D-08	सामान्य	300.00	1.50	55%	उपविधि के अनुसार	22680.00	68.04	6.80
	3D-10	सामान्य	300.00	1.50	55%	उपविधि के अनुसार	22680.00	68.04	6.80

नोट:- प्रीमियम हाउसेज भूखण्डों (प्री.हा.भू.) में भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर उनके भू-तल पर ही व्यवसायिक गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य की जा सकती है।

- भूखण्डों में सब डिविजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।
- भविष्य में भू-तल पर व्यावसायिक गतिविधियों हेतु स्वयं के अतिरिक्त की दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- प्रीमियम भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति शुल्क व पार्किंग की गणना प्रस्तावित आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल के सापेक्ष परिषद के नियमानुसार अलग-अलग गणना की जायेगी।
- इन भूखण्डों में केवल तीन तल ही अनुमन्य होंगे व बेसमेन्ट की गणना तलों में की जायेगी, केवल भू-तल पर ही व्यावसायिक प्रयोग अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट प्रयोग केवल भण्डारण/पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा।
- भविष्य में क्रय योग्य एफ.ए.आर. इन भूखण्डों पर अनुमन्य नहीं होगा।

गैर आवासीय सम्पत्तियाँ :-

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
व्यवसायिक भूखण्ड 08 नग	B.Com-2	85.79	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	18.51	1.85
	B.Com-3	78.20	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	16.88	1.69
	B.Com-4	78.20	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	16.88	1.69
	B.Com-5	88.32 (Cor.)	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	23740.00	20.97	2.10
	B.Com-6	154.95 (Cor.)	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	23740.00	36.79	3.68
	B.Com-7	128.92	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	27.82	2.78
	B.Com-8	140.17	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	30.25	3.02
	B.Com-9	166.35	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	21580.00	35.90	3.59

आवासीय सम्पत्तियाँ :-

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण :-

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
(99/200 प्रकार) सेमी फिनिशर्ड उच्च आय वर्ग भवन (कुल 01 नग)	3A-23	सामान्य	200.00	49.77	2.49
(67/162 प्रकार) सेमी फिनिशर्ड उच्च आय वर्ग भवन (कुल 03 नग)	3D-48	सामान्य	189.62 (Cor.)	46.00	2.30
	3D-49	सामान्य	166.50	39.63	1.98
	3D-51	सामान्य	166.50	39.63	1.98

आवासीय सम्पत्तियाँ (नीलामी के माध्यम से):-

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
आवासीय भूखण्ड 10 नग	2B/204 (Cor.)	सामान्य	453.29	1.50	55%	16632.00	75.39	3.77
	2B/205	सामान्य	298.20	1.50	55%	15120.00	45.09	2.25
	2B/206	अ.पि. वर्ग	297.00	1.50	55%	15120.00	44.91	2.25
	2B/207	अनु.सू. जाति	295.80	1.50	55%	15120.00	44.73	2.25
	2B/208	सामान्य	294.60	1.50	55%	15120.00	44.54	2.25
	2B/209	सामान्य	293.40	1.50	55%	15120.00	44.36	2.25
	2B/210	सामान्य (व.जा.)	292.20	1.50	55%	15120.00	44.19	2.25
	2B/211	अनु.सू. जाति	291.00	1.50	55%	15120.00	44.00	2.25
	2B/212	अ.पि. वर्ग	289.80	1.50	55%	15120.00	43.82	2.25
	2B/213 (Cor.)	अ.पि. वर्ग	435.60	1.50	55%	16632.00	72.45	3.77

आवासीय सम्पत्तियाँ (नीलामी के माध्यम से):-

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
आवासीय भूखण्ड (कुल 02 नग)	B-145	246.67	10080.00	24.87	1.25
	A-130	660.00	10080.00	66.53	3.33

आवासीय सम्पत्तियाँ (नीलामी के माध्यम से):-

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
अल्प आय वर्ग भवन (कुल 01 नग)	C-248	सामान्य	60.48	10.80	0.54

चरण विहार योजना, बड़ौत

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
आवासीय भूखण्ड (कुल 01 नग)	1A-379	30.15	21840.00	6.59	0.33

आवंटन के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण :-

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
आश्रय भूखण्ड (01 नग)	F-367	31.50	10080.00	3.18	0.16
सर्विस भूखण्ड (01 नग)	F-372	43.20	10080.00	4.35	0.22

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
दुर्बल आय वर्ग भवन (01 नग)	E-332	41.31	5.30	0.27

शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
आश्रय भूखण्ड (02 नग)	761	71.07	13440.00	9.55	0.48
	793	50.05	13440.00	6.73	0.37

चरण विहार योजना, बड़ौत

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
दुर्बल आय वर्ग भवन (01 नग)	2C-238	40.32	11.05	0.55

नोट:-

- (1) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय रु. 1,00,000/- जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिग बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- (2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति में आवेदन करने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि आवंटन योग्य सभी अवशेष रिक्त सम्पत्तियों का विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तथा वर्तमान में ऐसी कोई भी सम्पत्ति अवशेष रिक्त नहीं है, जो आवंटन योग्य हो एवं उक्त का समावेश विज्ञापन में न किया गया हो।

मेरठ जोन के अन्तर्गत रिक्त अवशेष सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

मेरठ जोन के अन्तर्गत मंगल पाडे नगर, शास्त्रीनगर एवं माधवपुरम योजना में 80 वर्गमीटर तक व्यवसायिक भूखण्डों/भूखण्ड/दुकानों आदि सम्पत्तियों की नीलामी

शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए.आर. (लाख में)	ग्राउण्ड कवरेज (प्रतिशत)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	भूमिदर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (प्रति नग)	टोकन मनी की धनराशि
व्यवसायिक भूखण्ड	एल-1185/2 (Cor.)	77.76	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	59136.00	4598415	459842
एल ब्लॉक (04 नग)	आई.एस.-116 (Cor.)	156.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	59136.00	9225210	922522
	आई.एस.-116/2	128.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	53760.00	6881280	688128
	आई.एस.-184	181.50	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	53760.00	9762816	976282
दुकानें	K-1	8.062	----	----	----	----	1160000	116000
ब्लॉक (के-11 नग)	K-2, 3, 4, 12, 15, 16	9.099	----	----	----	----	1309350	130935
	K-17, 18, 22, 25	8.131	----	----	----	----	1169900	116990

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ (नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड)

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए.आर. (लाख में)	ग्राउण्ड कवरेज (प्रतिशत)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	भूमिदर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (प्रति नग)	टोकन मनी की धनराशि
व्यवसायिक भूखण्ड	I/CP-9 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
80 व.मी. तक सेक्टर-1 (08 नग)	I/CP-10 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-11 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-12 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-13 (Cor.) (GEN)	110.50	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	40656.00	4492488	449249
	I/CP-16 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	I/CP-17 (Cor.) (GEN)	117.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	4324320	432432
	I/CP-20 (GEN)	78.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (03 नग)	3F-488 (GEN) 171 व.मी. से अधिक	173.52	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	6413299	641330
	3F-488 (SC)	173.52	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	36960.00	6413299	641330

नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ (नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड)

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए.आर. (लाख में)	ग्राउण्ड कवरेज (प्रतिशत)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	भूमिदर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (प्रति नग)	टोकन मनी की धनराशि
आवासीय भूखण्ड	I/R-02 (OBC)	201.50	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	18480.00	3723720	372372
171 व.मी. से अधिक	I/R-09 (SC)	201.50	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	18480.00	3723720	372372
सेक्टर-1 (03 नग)	I/R-15 (SC)	201.50	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	18480.00	3723720	372372
सेक्टर-3 (01 नग)	2/264 (SC)	171.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	18480.00	3160080	316008

आवंटन से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर फ्री होल्ड (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य प्रति नग	पंजीकरण की धनराशि
80 व.मी. तक के आवासीय भूखण्ड (01 नग)	4/542 (सामान्य)	76.25	18480.00	1409100	70455

मेरठ जोन के अन्तर्गत हापुड़ शहर 80 वर्गमीटर से अधिक आवासीय भूखण्ड की नीलामी

सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	भूमिदर फ्री होल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
संजय विहार योजना संख्या-2 (01 नग)	51 (GEN)	117.45	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	13440.00	1578528	157853

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ.ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।
2. सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंक्स चैक अथवा पे-आर्डर जो कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलु बिड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है।
3. व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ.प्र. सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पत्तियों की एफ.ए.आर. आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई-5, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।
5. आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्यक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वॉछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन-पत्र रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से पूर्व दिनांक को अपरान्ह 3.00 बजे तक सहमति प्रार्थना-पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, यमुना, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस फण्ड, जी.एस.टी. पृथक से कब्जा पूर्व देय होगी। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा।
6. दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक आय रु. 100000.00 के अन्तर्गत होनी चाहिए, उ.प्र. का निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा व रु. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बल आय वर्ग भवनों तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किशतों में देय होगा।
7. किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

